संख्या-**863**/2021/5048/41-2023-C.N.-1606533-2021

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ:: दिनांक **18** नवम्बर**,** 2023

विषय:-वित्तीय वर्ष 2023-24 में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-5178/21-1-1(पुनर्विनियोग)नजा0-89-2023-24**,** दिनांक 18.10.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें**,** जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुदान संख्या 44 के लेखाशीर्ष 3452-पर्यटन -80-सामान्य-800-अन्य व्यय-14- पर्यटन नीति-2018 के अन्तर्गत पर्यटन इकाईयों को प्रोत्साहन के मानक मद 20 सहायक अनुदान- सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि रू0 4500.00 लाख की अवशेष राशि में से चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुदान सं0 44 लेखाशीर्षक 3452-पर्यटन- 80- सामान्य- 001 - निदेशन एवं प्रशासन 03-अधिष्ठान - 08- कार्यालय व्यय मद में रू0 15.00 लाख एवं 26 मशीन साज-सज्जा मद में रू0 6.00 लाख तथा 46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर साफ्टवेयर का क्रय मद में रू0 5.00 लाख एवं 47- कम्प्यूटर अनुरक्षण मद में रु0 03.00 अर्थात् कुल धनराशि रू0 29.00 लाख (रू0 उन्तीस लाख मात्र) पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृति जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निदेशक**,** पर्यटन के प्रस्ताव के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या- 44 के मद संख्या- 14- पर्यटन नीति 2018 के अन्तर्गत पर्यटन इकाईयों को प्रोत्साहन- 20- सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्रावधानित धनराशि रू0 4500.00 लाख की अवशेष राशि में से लेखाशीर्ष 3452- पर्यटन- 80- सामान्य- 001-निदेशन एवं प्रशासन 03- अधिष्ठान-08- कार्यालय व्यय मद में रू0 15.00 लाख एवं 26 मशीन साज-सज्जा मद में रू0 6.00 लाख तथा 46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर साफ्टवेयर का क्रय मद में रू 0 5.00 लाख एवं 47- कम्प्यूटर अनुरक्षण मद में रु0 03.00 अर्थात् कुल धनराशि रू 0 29.00 लाख (रू0 उन्तीस लाख मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध कराने की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(1) पुनर्विनियोग के माध्यम से निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17-मार्च, 2023 में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। स्वीकृत धनराशि का मदवार व्यय-विवरण शासन को सक्षम स्तर से उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे इसी वित्तीय वर्ष में नियत तिथि के पूर्व शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(4) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0 प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का महालेखाकार, प्रयागराज से कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

3- निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि की स्वीकृति वित्त विभाग के आर.ई. संख्या- RE-budget-1-166-E-7-269-X-2023-24-दिनांक:09-11-2023 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहें हैं।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. उप निदेशक (नजारत), पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/2, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
9. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।